भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2144

07.08.2025 को उत्तर के लिए

मानव-पशु संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा

2144. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान जंगली जानवरों द्वारा हमले के शिकार लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान जंगली जानवरों द्वारा किए गए हमले में मरने वाले लोगों की राज्य-वार सख्या कितनी है; और

(ग) जंगली जानवरों द्वारा हमले के शिकार लोगों के परिवारों को सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में बाघों और हाथियों के हमले से हुई मानव जीवन की क्षति का विवरण **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें बीमार या घायल मवेशियों को उठाने, फसलों को नुकसान पहुँचाने, जान-माल की हानि सहित जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवज़ा शामिल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने इन स्कीमों के तहत दिसंबर 2023 में जंगली जानवरों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है, जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, और इसका भुगतान भी इस संबंध में राज्य द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों/प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा।

विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	**जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाई गई क्षति की प्रकृति**	**अनुग्रह राहत राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10.00 लाख रुपये
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रुपये
iii.	मामूली चोट	इलाज की लागत प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तक
iv.	संपत्ति/फसलों को नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार उनके द्वारा नियत लागत मानदंडों को मान सकती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण होने वाली चोटों सहित पशुधन, फसलों और मानव जीवन की क्षति के लिए मानदंडों के अनुसार अनुग्रह भुगतान करते हैं, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं।

अनुलग्नक-I

"मानव-पशु संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा" के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2144 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान बाघों के हमले के कारण हुई मानव मृत्यु का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	असम	0	0	0	0	4
2	बिहार	1	4	9	1	2
3	छत्तीसगढ	0	0	0	3	0
4	कर्नाटक	0	1	1	8	2
5	केरल	2	1	1	1	1
6	मध्य प्रदेश	11	2	3	10	6
7	महाराष्ट्र	25	32	82	37	42
8	मिजोरम	0	0	0	0	0
9	ओडिशा	0	0	0	0	0
10	राजस्थान	0	0	0	0	0
11	तमिलनाडु	1	3	0	1	0
12	तेलंगाना	2	0	0	0	1
13	उत्तर प्रदेश	4	11	11	25	10
14	उत्तराखंड	0	1	3	0	5
15	पश्चिम बंगाल	5	5	1	0	1
		51	**60**	**111**	**86**	**74**

अनुलग्नक-II

"मानव-पशु संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा" के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2144 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान हाथियों के हमलों के कारण हुई मानव मृत्यु का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	4	6	4	5	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2	2	0	0
3	असम	75	91	63	80	74
4	छत्तीसगढ	77	42	64	69	51
5	झारखंड	84	74	133	96	87
6	कर्नाटक	30	26	27	29	48
7	केरल	12	20	25	22	23
8	महाराष्ट्र	1	0	0	2	5
9	मेघालय	4	6	3	3	7
10	नागालैंड	0	0	0	1	1
11	ओडिशा	117	93	112	148	154
12	तमिलनाडु	58	57	37	43	61
13	त्रिपुरा	2	1	2	2	1
14	उत्तर प्रदेश	6	1	0	4	4
15	उत्तराखंड	9	13	12	4	8
16	पश्चिम बंगाल	116	47	77	97	99
	कुल	**595**	**479**	**561**	**605**	**629**
